राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1985/2011/भीलवाड़ा

मै0 राकेश राज जैन,
भीलवाडा। ...अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स,
भीलवाड़ा ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

लिखित बहस प्राप्त
द्वारा श्री एम.पी.शर्मा कर सलाहकार ...अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.10.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.06.2010 को निरस्त करते हुए दिशा निर्देशो के साथ प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है तथा उसके द्वारा वर्ष 2008–09 हेतु प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर बिना ई.सी. पर आधारित कार्य 17,89,168/– रू. था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02.06.2010 द्वारा कर निर्धारण किया जिसके विरूद्व व्यवहारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील में विवादित टर्न ओवर पर निर्धारित वेट राशि रू 15022/– व शास्ति राशि रू. 2000/– को विवादित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा निम्न प्रकार निर्णय पारित किया गया है :–

(1). प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसाई की घोषित खरीद को अमान्य कर बिक्री बढ़ाकर करारोपण किया है, जिसका कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया। इस बिन्दु पर प्रकरण इस निर्देश के साथ कर निर्धारण को प्रतिप्रेषित किया।

लगातार.................2

जाता है कि व्यवसाई द्वारा घोषित बिक्री में वृद्धि करने से पूर्व विस्तृत एवं विशिष्ट नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित किया जावे।

(2). कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रीवर सेण्ड पर 12.5 प्रतिशत से करारोपण किया है इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि व्यवहारी द्वारा जो आलौच्य अवधि में रीवर सेण्ड की खरीद की गई है उस पर 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत से ही करारोपण किया जावें।

(4). कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा रिटर्न विलंब से प्रस्तुत करने पर धारा 58 के तहत रू. 2000/– की शास्ति आरोपित की है तथा शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं प्रदान किया गया अतः इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी अपने स्तर पर जांच करे तथा जांच उपरांत निर्णय के लिय स्वतंत्र है।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2011 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। रीवर सेण्ड की खरीद पर 12.5 के स्थान पर 4 प्रतिशत कर आरोपित करने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जबकि इस बिन्दु का निर्धारण अपीलीय अधिकारी को स्वयं करना चाहिए था व प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए था। इन्होंने कथन किया कि हांलाकि अपीलार्थी द्वारा नदी की रेती ही लाई गई है परन्तु विभाग के अधिकृत ठेकेदार द्वारा वेट 39 पर बजरी प्रिंट करा रखा है जिससे कर निर्धारण अधिकारी इसे बजरी मानकर कर आरोपित कर सकते है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

5. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

लगातार................3

7. अपीलार्थी का अपील में प्रथम मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रीवर सेण्ड की खरीद पर 12.5 के स्थान पर 4 प्रतिशत कर आरोपित करने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्देशों के साथ प्रकरण प्रेषित किया है। Shcedule IV के अन्तर्गत क्रम संख्या 115 निम्न प्रकार है :–

1.115.	River sand excluding bajri 1. Deleted by Notification No. F.12(52) FD/Tax/ 09-pt. dated 31-12-2010 w.e.f. 01-01-2011	5	

अधिसूचना संख्या 2136 एफ.12 (63) एफडी/टैक्स/2005–86 दिनांक 11.09.06 की क्रम संख्या 1 पर "बजरी" का उल्लेख है जिस पर प्रति ट्रक ई.सी. फीस देय होने का उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि "बजरी" पर प्रति ट्रक व "रीवर सैण्ड" 5 प्रतिशत की दर से कर देय है। अपीलार्थी का यह कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी द्वारा क्रय किया गया माल नदी की रेती होने के बावजूद वेट 39 में बजरी प्रिंट होने के कारण इसे बजरी मान सकते है। न्यायालय यह उचित समझता है कि इस सम्बन्ध में क्रय किये गये माल की श्रेणी के सम्बन्ध में जांच की जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में आंशिक संशोधन किया जाना उचित है कि कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी की विवरणिकाओं के अनुसार क्रय विक्रय की गई वस्तु की श्रेणी व उस पर तत्समय देय कर की गणना व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करें।

8. अपील में द्वितीय मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2011 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2011 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 02.06.10 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी क्योंकि अधिनियम की धारा 24(6) के अन्तर्गत कर बोर्ड या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहता है तो अन्तिम निर्णय के दो वर्ष की समय सीमा में कर निर्धारण आदेश पारित किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

9. प्रकरण में शास्ति राशि 2000/– रू के बिन्दु पर भी जांच व सुनवाई के उपरांत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रेतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2011 में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा क्रय विक्रय किये गये माल की श्रेणी (अर्थात् बजरी है या रीवर सैण्ड) व उस पर तत्समय देय कर की गणना नियमानुसार एवं विधिसम्मत रूप से व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करें। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 11.12.2017 को उपस्थित हो।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य